जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 05.10.2021

थाना थानाभवन

थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 05.10.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी भवन के निकट पर्यवेक्षण में थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वांछित 01 अभियुक्त को रतन पेट्रोलपम्प से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.09.2021 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. जोगिन्द्र पुत्र श्यामू निवासी महमूदगढ़ थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मूलचन्द थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. का0 अनुज थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा "कादरगढ में हुई लूट" के अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लेकर निशादेही पर लूट का माल व घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 03/4.09.2021 की रात्रि ग्राम कादरगढ में अज्ञात बदमाशों द्वारा विजेंद्र के घर में घुसकर नगदी, जेवर और मोबाइल लूट की घटना कारित की थी। जिसके संबंध में विजेन्द्र की तहरीर के आधार पर थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना उक्त लूट की घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु थानाभवन पुलिस के अलावा एसओजी और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। लगाई गई पुलिस टीमों के द्वारा घटनास्थल एवं उसके आस-पास से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कर अहम सुराग जुटाकर घटना के 96 घण्टे के भीतर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 08.09.2021 को 02 महिलाओं सहित 01 लूटेरे को लूट में प्रयुक्त वेगनआर कार, अवैध हथियार एवं लूटे गये माल के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त नीरज उर्फ रजनीश को थानाभवन पुलिस द्वारा दिनांक 10.9.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस घटना से संबंधित शेष बचे 02 अभियुक्त नफीस और रहमान द्वारा जनपद मुरादाबाद न्यायालय में समर्पण कर जेल चले गये थे। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों का वारण्ट माननीय न्यायालय से बनवाकर लूटे गए बचे माल की बरामदगी हेतु पुलिस कस्टड़ी रिमाण्ड पर लेने के लिए CJM शामली कोर्ट में आवेदन किया था। मा0 न्यायालय द्वारा थाना पुलिस के आवेदन पर दोनों अभियुक्तों को 24 घण्टे के पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में दिये जाने के आदेश दिये गये।

इस क्रम में आज दिनांक 05.10.2021 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों नफीस और रहमान को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार मुरादाबाद से लेकर थानाभवन पहुंची। जहां अभियुक्तगण से हुई पूछताछ के उपरान्त दोनों के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में कादरगढ गाँव में की गई लूट से संबंधित बचे हुए माल एवं घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदगी कराई गई है। बरामदगी के संबंध में थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.नफीस उर्फ चिड्डा पुत्र अफजाल नि0 मौहल्ला बागियावाला कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
2.रहमान उर्फ गंजा पुत्र मकसूद नि0 सराफती मस्जिद पीपलसाना बाईपास कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक चैन मय लोकेट सोने की।
2.एक तगड़ी चाँदी की।
3. अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
2-का0 रोहित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3-का0 सचिन पाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.का0 सचिन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना गढ़ीपुख्ता</u>

<u>अवैध हथियार में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद ।</u>

आज दिनांक 05.10.2021 को थाना गढ़ीपुख्ता द्वारा 01 अभियुक्त संजू उर्फ अक्कू पुत्र रमेश निवासी गढ़ीअबदुल्ला खा थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली को अवैध 01 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।